

न्यायालय :- प्रियंक दुबे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

पृष्ठांकन क्रमांक- 886 / 2025

टीकमगढ़, दिनांक 03.09.2025

प्रतिलिपि:-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. माननीय जिला न्यायाधीश (निरीक्षण एवं सतर्कता) वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, टीकमगढ़ म.प्र. की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
5. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़/निवाड़ी की ओर जिले से संबंधित विभागों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़/निवाड़ी की ओर जिले के समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
7. श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश महोदय, कुटुम्ब न्यायालय, जिला टीकमगढ़ म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) महोदय, टीकमगढ़ म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. श्रीमान् समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित को मेल किये जाने हेतु अधीनस्थ को निर्देशित किए जाने बाबत।
11. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
12. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
13. जिला अभियोजन अधिकारी टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं समस्त अभियोजन अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश के साथ प्रेषित।
14. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. सिस्टम ऑफिसर/एस.ए., टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. केन्द्रीय फाईलिंग कार्टर टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. निष्पादन लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

नोट:-

उक्त कार्यविभाजन पत्रक की प्रति सभी न्यायाधीशगण को ई-मेल के माध्यम से संसूचित की जा रही है।

(प्रियंक दुबे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म०प्र०)

पृ०क्रमांक 2296/सां०अनु०-47/2025

टीकमगढ़, दिनांक 03 सितम्बर, 2025

मूलतः :-

श्री प्रियंक दुबे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ (म०प्र०), की ओर उनके न्यायालय से प्राप्त संशोधित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 885/2025 टीकमगढ़ दिनांक 03 सितम्बर 2025 द्वारा न्यायिक जिला टीकमगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य दिनांक 04.09.2025 से प्रभावी होने हेतु कार्य विभाजन संबंधी संशोधित आदेश पत्रक एवं जो न्यायिक अधिकारीगण के अवकाश पर या अनुपस्थित रहने की दशा में उनके न्यायालय के प्रभार के संबंध में है, अनुमोदन पश्चात् मूलतः आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म०प्र०)

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़, (म0प्र0)

कमांक 885/2025

टीकमगढ़, दिनांक 03 सितम्बर 2025

—:संशोधित कार्य विभाजन आदेश :-

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा— 12 व 13 के अंतर्गत दाण्डिक कार्य विभाजन)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत टीकमगढ़ जिले में पदस्थ मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य संबंध हेतु पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन में संशोधन करते हुए निम्नांकित संशोधित कार्य विभाजन आदेश प्रसारित किया जाता है, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय टीकमगढ़ के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 04.09.2025 से प्रभावी होगा :-

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स. क.	कार्य विभाजन
—: टीकमगढ़ :-				
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़, म.प्र.	आरक्षी केन्द्र— कोतवाली टीकमगढ़ एवं देहात टीकमगढ़	1	विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
			2	आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।
			3	नगर पालिका अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
	—”—	—”—	4	संबंधित आरक्षी केन्द्र के खारजी प्रतिवेदन
	—”—	—”—	5	संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित परिवाद पत्र (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय आवेदनों को छोड़कर)
	—”—	संपूर्ण राजस्व जिला टीकमगढ़	6	खादय सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 से संबंधित प्रकरण।
	—”—	—”—	7	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी टीकमगढ़/निवाड़ी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण।
	—”—	—”—	8	मानसिक स्वास्थ्य अधि० 2017 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां।
	—”—	—”—	9	संपूर्ण सिविल जिला टीकमगढ़ के थाना क्षेत्रों के खारिजी रिपोर्ट।
	—”—	—”—	10	श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र।
	—”—	—”—	11	अन्य ऐसे सभी अधिनियमों के प्रकरण, जिनमें विचारण का अधिकार मात्र सीजेएम/एसीजेएम को होता है, जिनका स्पष्ट उल्लेख कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है।
	—”—	—”—	12	दुकान एवं संस्थान अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम से संबंधित प्रकरण।

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स. क.	कार्य विभाजन
	—''—	वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ से संबंधित प्रकरण।	13	वन वृत्त टीकमगढ़ व बल्देवगढ़ एवं जिला मुख्यालय टीकमगढ़ के थाना क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
	—''—	खनिज अधिनियम से संबंधित प्रकरण	14	संपूर्ण जिला टीकमगढ़ एवं जिला निवाड़ी के समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं जिला खनिज अधिकारी, जिला-टीकमगढ़ एवं जिला निवाड़ी से उद्भूत समस्त प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।
2	श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़	आरक्षी केन्द्र बड़ागांव जिला टीकमगढ़ म0प्र0	1	विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
	—''—	—''—	2	आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।
	—''—	—''—	3	संबंधित आरक्षी केन्द्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र।
	—''—	—''—	4	संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
	—''—	—''—	5	संबंधित आरक्षी केन्द्र के <u>खात्मा</u> प्रतिवेदन
	—''—	—''—	6	<u>संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित परिवाद पत्र (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय आवेदनों को छोड़कर)</u>
	—''—	—''—	7	सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।
		—''—	8	संबंधित आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां तथा धारा 144 बी.एन.एस.एस. 2023 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां (नगर पालिका टीकमगढ़ की सीमाओं को छोड़कर)
	—''—	सम्पूर्ण राजस्व जिला टीकमगढ़ म0प्र0	9	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.2001 में किया गया

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स. क.	कार्य विभाजन
				है।
	—''—	धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन	10	आरक्षी केन्द्र अजाक एवं महिला थाना टीकमगढ़ द्वारा प्रस्तुत धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन/ संस्वीकृति (पॉक्सो एक्ट एवं एट्रोसिटीज एक्ट को छोड़कर)
3	श्री राकेश जाटव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़	आरक्षी केन्द्र यातायात, आरक्षी केन्द्र मोहनगढ़ एवं आबकारी वृत्त टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0	1	विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
			2	आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।
			3	संबंधित आरक्षी केन्द्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र।
	—''—	—''—	4	संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
	—''—	—''—	5	संबंधित आरक्षी केन्द्र के <u>खात्मा</u> प्रतिवेदन
	—''—	—''—	6	<u>संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित परिवाद पत्र (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय आवेदनों को छोड़कर)</u>
	—''—	—''—	7	सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।
			8	संबंधित आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां तथा धारा 144 बी.एन.एस.एस. 2023 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां (नगर पालिका टीकमगढ़ की सीमाओं को छोड़कर)
		ग्राम न्यायालय	9	जिला टीकमगढ़ के ग्रामों से संबंधित सभी आरक्षी केन्द्रों के ग्राम न्यायालय से संबंधित प्रकरण।
	—''—	धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन	10	आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ़ द्वारा प्रस्तुत धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन/ संस्वीकृति (पॉक्सो एक्ट एवं एट्रोसिटीज एक्ट को छोड़कर)
4.	श्रीमती प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी, न्यायिक	आरक्षी केन्द्र— महिला थाना जिला टीकमगढ़ म0प्र0	1	विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स. क.	कार्य विभाजन
	मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़			
	--	--	2	आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।
	--	--	3	संबंधित आरक्षी केन्द्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र।
	--	--	4	सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।
	--	--	5	संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
	--	--	6	संबंधित आरक्षी केन्द्र के <u>खात्मा</u> प्रतिवेदन
			7	<u>संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित परिवाद पत्र (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय आवेदनों को छोड़कर)</u>
			8	आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ़, देहात टीकमगढ़ एवं महिला थाना टीकमगढ़ से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां तथा धारा 144 बी.एन.एस.एस. 2023 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां (कुटुम्ब न्यायालय टीकमगढ़ के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
	--	धारा पॉक्सो, एससी/एस टी एक्ट से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन	9	आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ़, महिला थाना टीकमगढ़, अजाक टीकमगढ़, देहात टीकमगढ़, बल्देवगढ़, दिगौड़ा, खरगापुर, बुडेरा, बड़ागांव, कुड़ीला द्वारा प्रस्तुत मात्र धारा 70(1), धारा 70(2) बी.एन.एस.एस. 2023 एवं पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन/संस्वीकृति। (जिला न्यायालय मुख्यालय स्थापना टीकमगढ़ अंतर्गत आने वाले समस्त थानों के पॉक्सो एक्ट व एस. सी/एस.टी. एक्ट से संबंधित धारा बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन)
	--	जिला मुख्यालय टीकमगढ़ में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के	10	आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ़, देहात टीकमगढ़, महिला थाना टीकमगढ़, बल्देवगढ़, कुड़ीला, खरगापुर, मोहनगढ़, दिगौड़ा, बड़ागांव एवं बुडेरा क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले <u>महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से</u>

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स. क.	कार्य विभाजन
		अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न अपराध के संबंध में)		संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध आपराधिक कार्यवाहियां तथा महिला संबंधी परिवाद पत्र। (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)।
5	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़	आरक्षी केन्द्र— बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0	1	विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
	—''—	—''—	2	आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।
	—''—	—''—	3	संबंधित आरक्षी केन्द्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र।
	—''—	—''—	4	सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।
	—''—	—''—	5	संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
	—''—	—''—	6	संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित परिवाद पत्र (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय आवेदनों को छोड़कर)
	—''—	—''—	7	संबंधित आरक्षी केन्द्र एवं आरक्षी केन्द्र कोतवाली व देहात के खात्मा प्रतिवेदन
			8	संबंधित आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले दारिलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां तथा धारा 144 बी.एन.एस.एस. 2023 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां (नगर पालिका टीकमगढ़ की सीमाओं को छोड़कर)
	—''—	धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन	9	आरक्षी केन्द्र दिगौड़ा जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रस्तुत धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन/संस्वीकृति (पॉक्सो एक्ट एवं एट्रोसिटीज एक्ट को छोड़कर)

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स. क.	कार्य विभाजन
	—''—		10	आरक्षी केन्द्र कोतवाली व देहात टीकमगढ़ से उद्भूत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
6	श्रीमती नूतन रावते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़	किशोर न्याय बोर्ड टीकमगढ़ म0प्र0	1	जिला टीकमगढ़ एवं निवाड़ी के समस्त थानों से उत्पन्न किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित समस्त प्रकरण व विधिव कार्यवाहियां।
7.	श्रीमती जया दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़	आरक्षी केन्द्र— दिगौड़ा जिला टीकमगढ़	1	विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
			2	आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।
	—''—	—''—	3	संबंधित आरक्षी केन्द्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र।
	—''—	—''—	4	संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
	—''—	—''—	5	संबंधित आरक्षी केन्द्र के <u>खात्मा</u> प्रतिवेदन
	—''—	—''—	6	<u>संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित परिवाद पत्र (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय आवेदनों को छोड़कर)</u>
	—''—	—''—	7	सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।
			8	संबंधित आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले दारेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां तथा धारा 144 बी.एन.एस.एस. 2023 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां (नगर पालिका टीकमगढ़ की सीमाओं को छोड़कर)
	—''—	धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन	9	आरक्षी केन्द्र बल्देवगढ़ व देहात जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रस्तुत धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन/ संस्वीकृति (पॉक्सो एक्ट एवं एट्रोसिटीज एक्ट को छोड़कर)

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स. क.	कार्य विभाजन
8	श्री पुष्पेन्द्र मोहन गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़	आरक्षी केन्द्र खरगापुर जिला टीकमगढ़ म0प्र0 —''—	1	विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
			2	आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।
	—''—	—''—	3	संबंधित आरक्षी केन्द्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र।
	—''—	—''—	4	सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।
	—''—	—''—	5	संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
	—''—	—''—	6	संबंधित आरक्षी केन्द्र के <u>खात्मा</u> प्रतिवेदन
	—''—	—''—	7	संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित परिवाद पत्र (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय आवेदनों को छोड़कर)
			8	संबंधित आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां तथा धारा 144 बी.एन.एस.एस. 2023 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां (नगर पालिका टीकमगढ़ की सीमाओं को छोड़कर)
	—''—	धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन	9	आरक्षी केन्द्र बड़ागांव एवं कुडीला टीकमगढ़ द्वारा प्रस्तुत धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन/संस्वीकृति (पॉक्सो एक्ट एवं एट्रोसिटीज एक्ट को छोड़कर)
9	सुश्री गरिमा अलावा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़	आरक्षी केन्द्र— कुडीला जिला टीकमगढ़ म0प्र0 —''—	1	विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
			2	आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।
	—''—	—''—	3	संबंधित आरक्षी केन्द्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र।
	—''—	—''—	4	सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।

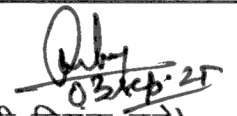
क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स. क.	कार्य विभाजन
	--	--	5	मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षु जज) द्वारा निराकृत किये गये ऐसे प्रकरण जिनके अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारंट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u>
	--	--	6	संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
	--	--	7	संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित परिवाद पत्र (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय आवेदनों को छोड़कर)
	--	--	8	संबंधित आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रतिवेदन
			9	संबंधित आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां तथा धारा 144 बी.एन.एस.एस. 2023 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां (नगर पालिका टीकमगढ़ की सीमाओं को छोड़कर)
			10	पूर्व न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ द्वारा निराकृत किये गये ऐसे प्रकरण जिनके अभिलेख अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है।
	--		11	पूर्व न्यायालय/पीठासीन अधिकारी द्वारा आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ़ से संबंधित प्रकरणों में जारी स्थायी वारंट।
	--		12	आरक्षी केन्द्र देहात टीकमगढ़ के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं पूर्व पीठासीन अधिकारी/न्यायालय द्वारा जारी थाना कोतवाली टीकमगढ़ से संबंधित स्थायी वारंट।
			13	पूर्व न्यायालय/पीठासीन अधिकारी द्वारा आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ़ एवं देहात से संबंधित प्रकरणों

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स. क.	कार्य विभाजन
				में अपील/पुनरीक्षण में राशि वापस करने के संबंध में कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है।
		धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023	14	आरक्षी केन्द्र मोहनगढ़ एवं बुड़ेरा द्वारा प्रस्तुत धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन/संस्वीकृति (पॉक्सो एक्ट एवं एट्रोसिटीज एक्ट को छोड़कर)
10.	श्री शुभम डहेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़	आरक्षी केन्द्र— बुड़ेरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0	1	विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
	—''—	—''—	2	आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।
	—''—	—''—	3	संबंधित आरक्षी केन्द्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र।
	—''—	—''—	4	सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।
	—''—	—''—	5	संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
	—''—	—''—	6	संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित परिवाद पत्र (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय आवेदनों को छोड़कर)
	—''—	—''—	7	संबंधित आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रतिवेदन
		—''—	8	संबंधित आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां तथा धारा 144 बी.एन.एस.एस. 2023 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां (नगर पालिका टीकमगढ़ की सीमाओं को छोड़कर)
	—''—		9	पूर्व न्यायालय/पीठासीन द्वारा आरक्षी केन्द्र देहात टीकमगढ़ से संबंधित प्रकरणों में जारी स्थायी वारंट।
	—''—		10	आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ़ के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं पूर्व पीठासीन अधिकारी/न्यायालय द्वारा जारी थाना कोतवाली टीकमगढ़ से संबंधित स्थायी वारंट
		धारा 183	11	आरक्षी केन्द्र खरगापुर जिला टीकमगढ़ द्वारा

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स. क.	कार्य विभाजन
		बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन		प्रस्तुत धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन/संस्वीकृति (पॉक्सो एक्ट एवं एट्रोसिटीज एक्ट को छोड़कर)
निवाड़ी				
1	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी न्यायिक जिला टीकमगढ़ म0प्र0	आरक्षी केन्द्र—कोतवाली निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर (नैगुंवा राजस्व वृत्त को छोड़कर) न्यायिक जिला टीकमगढ़, म. प्र.	1	विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
			2	आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।
	—''—	—''—	3	संबंधित आरक्षी केन्द्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र।
	—''—	—''—	4	सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।
	—''—	—''—	5	संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
	—''—	—''—	6	संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित परिवाद पत्र (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय आवेदनों को छोड़कर)
	—''—	—''—	7	संबंधित आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रतिवेदन
		आबकारी वृत्त निवाड़ी	8	आबकारी वृत्त निवाड़ी से उद्भूत समस्त प्रकरण।
	—''—	धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023	10	आरक्षी केन्द्र टेहरका, सेंदरी एवं महिला थाना निवाड़ी द्वारा प्रस्तुत धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन/संस्वीकृति (पॉक्सो एक्ट एवं एट्रोसिटीज एक्ट को छोड़कर)
	—''—	वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ से संबंधित प्रकरण	11	वन वृत्त निवाड़ी एवं तहसील निवाड़ी मुख्यालय के थाना क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
1		धारा 183	12	आरक्षी केन्द्र टेहरका, सेंदरी एवं पृथ्वीपुर (नैगुंवा राजस्व

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स. क.	कार्य विभाजन
		बी.एन.एस.एस. 2023		वृत्त को छोड़कर) द्वारा प्रस्तुत धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन/संस्वीकृति। (पॉक्सो एक्ट एवं एट्रोसिटीज एक्ट को छोड़कर)
1	श्रीमती सोनम वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी न्यायिक जिला टीकमगढ़ म0प्र0	आरक्षी केन्द्र— महिला थाना निवाड़ी एवं यातायात निवाड़ी जिला निवाड़ी	1	विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
	—''—	—''—	2	सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।
	—''—	—''—	3	संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित परिवाद पत्र (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय आवेदनों को छोड़कर)
	—''—	—''—	4	संबंधित आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रतिवेदन
	—''—	व्यवहार न्यायालय निवाड़ी में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न अपराध संबंध में)	5	आरक्षी केन्द्र निवाड़ी, टेहरका, सेंदरी एवं पृथ्वीपुर (नैगुवा वृत्त को छोड़कर), महिला थाना निवाड़ी क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं महिला संबंधी परिवाद पत्र। (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)।
	—''—	व्यवहार न्यायालय निवाड़ी में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र	6	आरक्षी केन्द्र निवाड़ी, टेहरका, सेंदरी एवं पृथ्वीपुर (नैगुवा वृत्त को छोड़कर), महिला थाना निवाड़ी क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं धारा 144 बी.एन.एस.एस. 2023 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
	—''—	धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023	7	आरक्षी केन्द्र निवाड़ी, पृथ्वीपुर (नैगुवा वृत्त को छोड़कर), महिला थाना निवाड़ी, टेहरका, सेंदरी द्वारा प्रस्तुत मात्र धारा 70(1), धारा 70(2) बी.एन.एस.एस. 2023 एवं पॉक्सो एक्ट, एस.सी./एस.टी. एक्ट के धारा

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स. क.	कार्य विभाजन
				183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन/संस्वीकृति
2	श्री मनीष छापरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी न्यायिक जिला टीकमगढ़ म0प्र0	आरक्षी केन्द्र— टेहरका एवं सेंदरी सिविल जिला निवाड़ी म0प्र0	1	विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
	—''—	—''—	2	आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।
	—''—	—''—	3	संबंधित आरक्षी केन्द्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र।
	—''—	—''—	4	सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।
	—''—	—''—	5	संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
	—''—	—''—	6	<u>संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित परिवाद पत्र (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय आवेदनों को छोड़कर)</u>
	—''—	—''—	7	संबंधित आरक्षी केन्द्र के <u>खात्मा</u> प्रतिवेदन
	—''—	सम्पूर्ण राजस्व जिला निवाड़ी	8	स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधि०के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.2001 में किया गया है।
	—''—	धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023	9	आरक्षी केन्द्र निवाड़ी, पृथ्वीपुर (नैगुवा वृत्त को छोड़कर) एवं सेंदरी के धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के कथन / संस्वीकृति (पॉक्सो एक्ट एवं एट्रोसिटीज एक्ट को छोड़कर)



(श्री प्रियंक दुबे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ म0प्र0

— : : सामान्य आदेश : : —

1. वर्तमान संशोधित कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2. धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 के तहत अंकित होने वाले कथन एवं संस्वीकृतियां सशक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति/अवकाश की दशा में उनके प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित की जायेगी।
3. पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति में रिमांड, प्रतिभूति आवेदन पत्र, उपस्थिति माफी आवेदन, सुपुर्दगीनामा आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों के सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के अंतिम प्रतिवेदन जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करना चाहता है, का निराकरण प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना जो वृद्धावस्था तथा बीमारी अथवा दूरस्थ स्थान से अथवा अन्य आवश्यक साक्षी समन या वारंट पर उपस्थित हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित होना अत्यन्त व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हो और जहां से उसे आहूत करना असुविधाजनक व असंभव होगा, ऐसे प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरांत उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापिस करेंगे।
5. ऐसे मामले में जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हैं एवं अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करने के लिए तत्पर है, तो संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का प्रभार के दौरान निराकरण करेंगे एवं ऐसे मामलों का पंजीकरण निराकरण करने वाले न्यायालय में ही होगा।
6. एन0डी0पी0एस0 एक्ट, म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधि0, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं अन्य मामलों में प्रथम रिमान्ड की कार्यवाही अवकाश की दशा में रिमान्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।
7. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यकतानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
8. जिला मुख्यालय पर रिमान्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
9. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धारा 187 बी.एन.एस.एस. 2023 के तहत पुलिस रिमान्ड, देने संबंधी आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ को अबिलंब आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
10. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेटों की रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन किया जावेगा।
11. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार आरक्षी केन्द्रों के जिन मामलों की सुनवाई ग्राम न्यायालय जनपद पंचायत टीकमगढ़ द्वारा की जाती है, उस पर इस कार्य विभाजन पत्रक का कोई प्रभाव नहीं होगा।
12. न्यायालय भवन एवं परिसर में किसी व्यक्ति द्वारा गंदगी फैलाने, धूम्रपान करने, गुटखा/पाक थूकने एवं दीवारों को गंदा करने एवं शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने के अपराध के संबंध में जिला मुख्यालय टीकमगढ़ स्थित न्यायालय भवन एवं परिसर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/**श्री राकेश कुमार जाटव/श्रीमती मीना शाह** जेएमएफसी टीकमगढ़ को एवं तहसील मुख्यालय निवाडी स्थित न्यायालय भवन एवं परिसर में **श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला/श्री**

मनीष छापरिया जेएमएफसी निवाडी को स्वयं के ज्ञान के आधार पर संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत रहेंगे।

13. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के **आरक्षी केन्द्र** से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न एवं थाना क्षेत्र कोतवाली टीकमगढ़ व देहात को छोड़कर) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।
14. धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथनों को संबंधित थाना क्षेत्र वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में सुरक्षित रखा जावेगा तथा पुलिस द्वारा अभियोग पत्र/खारिजी प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय से प्राप्त कर संलग्न किया जावेगा।
15. धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन महिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में प्रभार वाले पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला कर्मचारी की उपस्थिति में अभिलिखित किये जावेंगे।

—:: चार्ज प्रभार ::—

न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर या अनुपस्थित रहने की दशा में उनके न्यायालय का आपराधिक कार्य संपादित किये जाने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है, जो उक्त कार्यविभाजन पत्रक के साथ प्रभावशील रहेगा :-

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट	स्तम्भ क. 1	स्तम्भ क. 2	स्तम्भ क. 3	स्तम्भ क. 4
—: टीकमगढ़ :—					
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़	श्री मुदित लटौरिया जे.एम.एफ.सी. टीकमगढ़	श्री राकेश कुमार जाटव जे.एम.एफ.सी. टीकमगढ़	श्रीमती प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी जेएमएफसी टीकमगढ़	मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़
2	श्रीमती मीना शाह जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री राकेश कुमार जाटव जेएमएफसी टीकमगढ़	श्रीमती प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी जे.एम.एफ.सी. टीकमगढ़	श्री मुदित लटौरिया जे.एम.एफ.सी. टीकमगढ़	मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़
3	श्री राकेश कुमार जाटव जे.एम.एफ.सी. टीकमगढ़	श्रीमती मीना शाह जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री मुदित लटौरिया जेएमएफसी टीकमगढ़	श्रीमती प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी जेएमएफसी टीकमगढ़	मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़
4	श्रीमती प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी जेएमएफसी टीकमगढ़	श्रीमती मीना शाह जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री मुदित लटौरिया जे.एम.एफ.सी. टीकमगढ़	श्री राकेश कुमार जाटव जेएमएफसी टीकमगढ़	मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट	स्तम्भ क. 1	स्तम्भ क. 2	स्तम्भ क. 3	स्तम्भ क. 4
5	श्री मुदित लटौरिया जेएमएफसी टीकमगढ़	श्रीमती प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी जे.एम.एफ.सी. टीकमगढ़	श्रीमती मीना शाह जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री पुष्पेन्द्र मोहन गर्ग जेएमएफसी टीकमगढ़	मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़
6	श्रीमती जया दीक्षित जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री पुष्पेन्द्र मोहन गर्ग जेएमएफसी टीकमगढ़	सुश्री गरिमा अलावा जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री मुदित लटौरिया जेएमएफसी टीकमगढ़	मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़
7	श्री पुष्पेन्द्र मोहन गर्ग, जेएमएफसी, टीकम गढ़	श्रीमती जया दीक्षित जेएमएफसी टीकमगढ़	सुश्री गरिमा अलावा जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री शुभम डहेरिया जेएमएफसी, टीकमगढ़	मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़
8	सुश्री गरिमा अलावा जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री शुभम डहेरिया जेएमएफसी, टीकमगढ़	श्रीमती जया दीक्षित जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री पुष्पेन्द्र मोहन गर्ग जेएमएफसी टीकमगढ़	मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़
9	श्री शुभम डहेरिया जेएमएफसी, टीकमगढ़	सुश्री गरिमा अलावा जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री पुष्पेन्द्र मोहन गर्ग, जेएमएफसी, टीकमगढ़	श्रीमती जया दीक्षित जेएमएफसी, टीकमगढ़	मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़

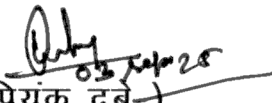
निवाड़ी

1	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती सोनम वर्मा जेएमएफसी निवाड़ी	श्री मनीष छापरिया जेएमएफसी. निवाड़ी	श्री उमेश भगवती जेएमएफसी ओरछा	न्यायालय निवाड़ी और न्यायालय ओरछा में कोई भी वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट मौजूद न होने पर मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़
2	श्रीमती सोनम वर्मा, जेएमएफसी निवाड़ी	श्री मनीष छापरिया जेएमएफसी निवाड़ी	श्री ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला, जेएमएफसी. निवाड़ी	श्री उपमन्यु शुक्ला, जेएमएफसी ओरछा	न्यायालय निवाड़ी और न्यायालय ओरछा में कोई भी वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट मौजूद न होने पर मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़
3	श्री मनीष छापरिया, जेएमएफसी.	श्री ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला जेएमएफसी	श्रीमती सोनम वर्मा जेएमएफसी निवाड़ी	श्री उमेश भगवती जेएमएफसी ओरछा	न्यायालय निवाड़ी और न्यायालय ओरछा में कोई भी वरिष्ठ न्यायिक

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट	स्तम्भ क. 1	स्तम्भ क. 2	स्तम्भ क. 3	स्तम्भ क. 4
	निवाड़ी	निवाड़ी			मजिस्ट्रेट मौजूद न होने पर मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़

नोट:-

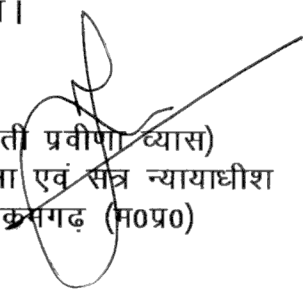
1. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड टीकमगढ़ के अवकाश/प्रशिक्षण पर होने अथवा अन्य किसी कारण से अपने पद पर उपस्थित नहीं होने पर तथा किशोर न्याय बोर्ड टीकमगढ़ के सदस्यगण का पद रिक्त होने से उनका प्रथम प्रभार श्री राकेश कुमार जाटव जेएमएफसी टीकमगढ़ एवं उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय प्रभार श्री मुदित लटौरिया जेएमएफसी टीकमगढ़ एवं उक्त दोनों की अनुपस्थिति में उपरोक्त प्रभार आदेशानुसार तथा रिमाण्ड ड्यूटी में टीकमगढ़ से संबंधित उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किशोर न्याय बोर्ड टीकमगढ़ के कार्य का संपादन किया जायेगा।
2. उक्त तालिका में दिये गये प्रभार अनुसार यदि किसी पीठासीन अधिकारी के समक्ष अंकित तीनों कॉलम के प्रभारी अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी दशा में स्तम्भ क. 4 में अंकित प्रथम प्रभारी अधिकारी के प्रभार अनुसार उनके प्रभारी अधिकारियों को कमशः प्रभार दिया जाता है।
3. यह कार्यविभाजन पत्रक सभी न्यायाधीशगण के ई-मेल पर संसूचित किया जा रहा है। इसलिए पृथक से प्रतिलिपि भेजने की आवश्यकता नहीं है।


 (प्रियंक दुबे)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 टीकमगढ़ म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक— क्यू / 2025

टीकमगढ़ दिनांक 03.09.2025

उपरोक्तानुसार संशोधित कार्य विभाजन पत्रक अनुमोदित।


 (श्रीमती प्रवीणा व्यास)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 टीकमगढ़ (म0प्र0)